न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/50/2016

उनवान

1. मुकुट बिहारी पुत्र कन्हैया लाल सोनी निवासी जालिया द्वितीय तहसील मसूदा जिला अजमेर राजस्थान
2. श्यामबिहारी पुत्र कन्हैया लाल सोनी (वाद पत्र के अनुसार दत्तक पुत्र सुवा लाल) निवासी जालिया द्वितीय तहसी मसूदा जिला अजमेर
3. मनोज पुत्र पृथ्वीराज सोनी निवासी जालिया द्वितीय तहसील मसूदा जिला अजमेर
4. कृष्ण मुरारी पुत्र कन्हैया लाल सोनी निवास जालिया द्वितीय तहसील मसूदा जिला अजमेर

अपीलाण्ट

बनाम

1. कुन्जबिहारी पुत्र कन्हैया लाल सोनी निवासी जालिया द्वितीय तहसील मसूदा जिला अजमेर मृतक के कायम मुकामः—
   1/1 मुकेश कुमार पुत्र कुन्जबिहारी सोनी निवासी जालिया द्वितीय तहसील मसूदा जिला अजमेर
   1/2 राजू पुत्री स्व. कुंज बिहारी सोनी निवासी जालिया तहसील मसूदा जिला अजमेर
   1/3 चंचल पुत्री कुन्जबिजारी सोनी निवासी जालिया तहसील मसूदा जिला अजमेर
   1/4 श्रीमती गीता देवी पत्नी कुन्ज बिहारी सोनी निवासी जालिया तहसील मसूदा जिला अजमेर
2. श्रीमती भगवती पुत्री पृथ्वीराज पत्नी रमेश चन्द्र सोनी निवासी खामोर हाल पंडागा तहसील भिनाय जिला अजमेर
3. श्रीमती तारा देवी पुत्री पृथ्वीराज सोनी पत्नी दिनेश सोनी निवासी रामगढ तहसील मसूदा जिला अजमेर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

4. श्रीमती सोनू पुत्री पृथ्वीराज सोनी निवासी जालिया द्वितीय तहसील मसूदा जिला अजमेर
5. मु0 सीमा पुत्री पृथ्वीराज सोनी निवासी जालिया द्वितीय तहसील मसूदा जिला अजमेर
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, हुरडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के प्रकरण संख्या 301/2011 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.10.2013

अधिवक्तागण :—

1. श्री आदित्यनारायण, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री पृथ्वीराज चौधरी,अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5

निर्णय

दिनांक 7.8.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88, 92 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा शिवनगर तहसील हुरडा में कन्हैया लाल पुत्र कालूराम सुनार के नाम पर आराजी नम्बर 120 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा व आराजी नम्बर 121 रकबा 01 बिस्वा खाते में दर्ज है। वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 से 10 का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है:—

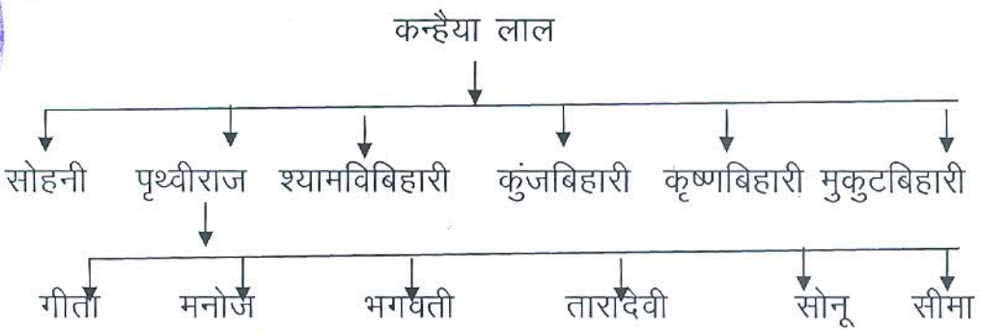

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2. खातेदार कन्हैया लाल के जीते जी उनके पुत्र पृथ्वीराज चौथमल के तथा श्यामबिहारी सुवालाल जी के ग्राम जालिया तहसील मसूदा में गोद चले गये। तभी से वो दोनों चौथमल व सुवालाल सुनार के गोदपुत्र की हैसियत से जाने व पहचाने जाने लगे तथा उनका कन्हैया लाल से कोई लेना–देना नहीं रहा । खातेदार कन्हैया लाल जी के जीते जी उनका व उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके वारिस वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 से 3 का बराबर बराबर हक हिस्से से कब्जा काश्त व उपभोग चला आ रहा है तथा दिनांक 9.3.2006 को कन्हैया लाल की मृत्यु हो गई जिससे वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 से 3 बराबर–बराबर हक हिस्से से उक्त आराजियात को अपने खाते में दर्ज कराने के अधिकारी हैं। इसके लिए वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध खातेदारी हक की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने के लिए अधिकृत हैं। प्रतिवादी नम्बर 4 श्यामबिहारी ग्राम जालिया द्वितीय में सुवालाल सुनार के गोद चला गया व पृथ्वीराज जो कि चौथमल के गोद गया । उसकी मृत्यु हो जाने से उसके वारिस प्रतिवादी नम्बर 5 से 6 को पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी नम्बर 4 से 10 का कन्हैया लाल की वाद पत्र की कलम नम्बर 1 में वर्णित आराजियात से कोई लेना–देना नहीं है मगर फिर भी वो बिना किसी वजह से आये दिन वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 से 3 को परेशान व हस्तक्षेप करते रहते हैं। तथा उक्त आराजी का इन्तकाल भी वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 से 3 को खोलने में बाधा उत्पन्न करते हैं तथा उक्त आराजी का नामान्तकरण अपने नाम पर खुलवाकर उसको दीगर को विक्रय व उसका पंजीयन कराने पर उतारू है तथा मना करने पर न मान लडाई झगडा करने पर आमादा होते हैं जो कृत्य उन्होंने दिनांक 10.6.2011 से जारी कर रखा है। प्रतिवादी नम्बर 4 से 10 का उक्त कृत्य अवैध व नाजायज होकर कानून की मंशा के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

विपरीत होने से इससे रूके रहने बाबत उनको बजरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक होकर न्यायहित में है वरना वादी को अपनी आराजियात के हक उपभोग से वंचित रहकर ऐसी असहनीय क्षति का सामना करना पडेगा जिसकी क्षतिपूर्ति असंभव है। अन्त में अंकित किया गया कि आराजी मुतदाविया मुन्दर्ज वाद पत्र की कलम नम्बर 1 में वर्णित आराजी को वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 से 3 के नाम पर बराबर–बराबर हक हिस्से से खातेदारी हक से दर्ज कराये जाने की घोषणात्मक डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे। बहक वादी प्रतिवादी नम्बर 4 से 10 स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस अमर की जारी फरमाई जावे कि वो स्वयं या अन्य द्वारा कन्हैया लाल की खातेदारी आराजी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने कराने तथा उक्त आराजी का इन्तकाल अपने नाम पर खोलने खुलवाने से व उसका पंजीयन व अन्तरण करने कराने से रूके रहे यदि दोहराने वाद पत्र प्रतिवादीगा इसके सफल हो जावे तो उनके खर्चे से आज की स्थिति रेस्टोर फरमाई जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलाण्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट्स को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण ने अपनी ओर से अधिवक्ता को

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

नियुक्त किया । अधिवक्ता ने बताया कि जब भी जरूरत होगी आपको बुलवा लिया जायेगा परन्तु अधिवक्ता ने अपीलार्थीगण / प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई। दिनांक 31.12.2015 को इस आशय की जानकारी मिली कि उक्त प्रकरण का निर्णय होकर उसकी पालना में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पक्ष में डिक्री किया जाकर उन्हें खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। तब जाकर दिनांक 19.1.2016 को नकल हेतु आवेदन किया । निर्णय की प्रति प्राप्त होने पर अवलिम्ब अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जावे।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट्स को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया । अपीलाण्ट्स के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण द्वारा पृथ्वीराज चौथमल जी के एवं श्यामबिहारी सुवा लाल जी के गोद जाने का कथन किया गया था। इस बाबत कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। गोद जाने के तथ्य का निस्तारण करना सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी साक्ष्य, दस्तावेज, रेकार्ड के पृथ्वीराज एवं श्यामबिहारी आत्मज कन्हैया लाल को गोद जाना मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जो साक्ष्य, गवाह के बिना पारित किया जाना विधिसम्मत नहीं है।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि कन्हैयालाल जी के संतान के रूप में पुत्रीयॉ भी थी जिन्हें प्रकरण में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है। जबकि मूल वाद में पक्षकारान के हक हितों का अंतिम तौर पर निस्तारण होता है ऐसी स्थिति में सभी आवश्यक पक्षकारों को प्रकरण में पक्षकार संयोजित कर सुनवाई का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

समुचित अवसर प्रदान किया जाना नितान्त आवश्यक है। कन्हैया लाल जी के वादग्रस्त आराजियात के अलावा अन्य आराजियात भी थी। जिनके बारे में पक्षकारान द्वारा हक परित्याग किया गया है। उक्त दस्तावेज प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत कर उसके साथ दस्तावेज संलग्न किये है। चूंकि प्रकरण में अपीलाण्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे एवं उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को रिमाण्ड किया जावे।

8. अधिवक्ता प्रत्यर्थी का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। उनके द्वारा अधिवक्ता को नियुक्त किया गया था। स्वयं पक्षकार की जिम्मेदारी होती है कि वे अपने अधिवक्ता के सम्पर्क में रहे एवं प्रकरण में हो रही कार्यवाही की जानकारी रखे। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है । वह विधिसम्मत है । अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

9. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र. अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलाण्ट्स अन्दर मियाद माना जाता है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

10. अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या 1 ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 , 92 ए राजस्थान काश्तकारी ,अधिनियम प्रस्तुत कर मौजा शिवनगर तहसील हुरडा में कन्हैया लाल पुत्र कालूराम सुनार के नाम पर आराजी नम्बर 120 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा व आराजी नम्बर 121 रकबा 01 बिस्वा खाते में दर्ज है। वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 से 10 का पारिवारिक सजरा भी दर्शाया है। प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी ने कन्हैया लाल जी के पुत्रों में से पृथ्वीराज का चौथमल जी के गोद जाने एवं श्यामबिहारी का सुवालाल जी के गोद जाने का कथन करते हुए शेष सदस्य सोहनी, कुंज बिहारी, कृष्णबिहारी एवं मुकुट बिहारी के मध्य आराजियात की खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने का निवेदन किया ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में पृथ्वीराज एवं श्यामबिहारी के गोद जाने संबधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे यह तथ्य साबित होता हो कि पृथ्वीराज एवं श्यामबिहारी अन्यत्र गोद गये हों एवं उनको वहॉ गोदपिता की सम्पति में हक हिस्सा प्राप्त हो गया हो। इसके अलावा कन्हैया लाल जी के जायन्दा संतानों में पुत्रीयों को भी पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है। न्यायालय हाजा में प्रकरण के विचारण के दौरान अपीलाण्ट की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत कर उसके साथ रजिस्टर्ड हक परित्याग पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की है। जिसके द्वारा श्यामबिहारी, कुंजबिहारी, मुकुट बिहारी, आत्मज कन्हैया लाल , श्रीमती चांदी देवी , श्रीमती नानी देवी पुत्रीयॉ स्व0 कन्हैया लाल द्वारा कृष्णबिहारी के पक्ष में हक परित्याग किया गया है। दिनांक 14.7.2006 के हक परित्याग दस्तावेज में अपीलाण्ट श्याम बिहारी के पिता का नाम कन्हैया लाल ही दर्ज है। श्याम बिहारी के मत पहचान पत्र, बैंक पास बुक, आधार कार्ड राशन कार्ड , मार्कशीट, सभी में पिता का नाम कन्हैया लाल दर्ज है ।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जबकि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नकल जमाबंदी जालिया खसरा नम्बर 4043 संवत 2042 –2045, 2046–2049, संवत 2058–2061 मे श्यामबिहारी वल्द सुवा लाल अंकित है। इसी प्रकार बैंक द्वारा जारी नोटिस दिनांक 27.4.89 में भी श्यामबिहारी आत्मज सुवा लाल जमानतदार अंकित है। ग्राम पंचायत जालिया के बापी पट्टे में पृथ्वीराज पिता चौथमल अंकित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेज व न्यायालय हाजा में प्रस्तुत दस्तावेज में श्यामबिहारी व पृथ्वीराज के पिता के नाम को लेकर भिन्नता है। इस हक परित्याग पत्र में जिन आराजियात का हक परित्याग किया गया है उसकी खातेदार श्रीमती सोहनी देवी पत्नि कन्हैया लाल भी रही है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। चूकि हक परित्याग करने वाले, एवं हक ग्रहणकर्ता एक ही परिवार के सदस्य है, वर्तमान में सोहनी देवी पत्नि कन्हैया लाल सोनी की भी मृत्यु होना अपील में बताया गया है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। जबकि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में मूल वाद में सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उपलब्ध दस्तोवज, राजस्व रेकार्ड, साक्ष्य के आधार पर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है। अपीलाधीन मामलें में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का समर्थन नहीं किया जा सकता है।

12. अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.10.2013 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में हितबद्ध पक्षकारों को पक्षकार संयोजित कर उभयपक्ष को

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का अवलोकन कर गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 29/10/18 को उपस्थित रहें।

13. निर्णय आज दिनांक 7.8.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

7/8/18

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा